

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी

पत्रांक: आयुष्मानमित्र/2020/ 1 ९ ४ ५ ९

दिनांक: 23 अक्टूबर 2020

प्रेस विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्या: 2259/पॉच-6-2018- 5(19)/2018टी0सी0-1, दिनांक: 27.7.2018 एवं शासनादेश संख्या: 1215/पॉच-1-2020-5(19)/2018टी0सी0-1, दिनांक: 16.10.2020 के अनुपालन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत **संविदा आरोग्य मित्र-22 पद (11 पद-अनारक्षित वर्ग, 06 पद-अन्य पिछड़ा वर्ग, 05 पद-अनुसूचित जाति वर्ग)** नियत मानदेय रू 10000/- (रू दस हजार मात्र) प्रति माह) दिनांक: 01 नवम्बर 2020 से 30 नवम्बर 2020 की सांय 05 बजे तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में **पंजीकृत डाक** के माध्यम से संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय एवं तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट संविदा आवेदन चयन/नियुक्ति की शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप **NIC** की बेवसाइट **barabanki.nic.in** पर देखी जा सकती है तथा आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है।


**Link --- (barabanki.nic.in की वेबसाईट में MORE > Notis > Recruitments)**

आवेदन हेतु शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. **आरोग्य मित्र चयन हेतु मानक-:**
  - क- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री
  - ख- हिन्दी अग्रेजी तथा स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान
  - ग- कम्प्यूटर तथा इंटरनेट पोर्टल पर कार्य करने में सक्षम
  - घ- 01 जुलाई 2020 को अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट प्राप्त होगी।  
(योग्य आशा कार्यकर्त्री अथवा महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।)
2. संविदा पर नियुक्ति निर्धारित अवधि दिनांक **31.03.2021** तक के लिए की जायेगी राज्य स्तर से निरन्तरता प्राप्त होने पर संतोषजनक सेवाये प्रदान करने की दशा में नवीनीकरण किया जायेगा
3. निर्धारित शर्तें जो निम्नवत् हैं के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ अभ्यर्थी चयन हेतु अर्ह होंगे।
4. राज्य/शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। परन्तु आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियाँ उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्ति की शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप **NIC** की बेवसाइट **barabanki.nic.in** पर देखा जा सकता है तथा आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है। साक्षात्कार तिथि की सूचना/अन्य नोटिस उक्त वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जायेगी किसी अन्य किसी माध्यम से सूचित नहीं किया जायेगा। नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
7. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार समिति द्वारा नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा या पत्राचार स्वीकार किया जायेगा।
9. देय नियत मानदेय रू 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) निर्धारित है। प्रोत्साहन रू 50/- प्रति लाभार्थी (उपचार के उपरान्त क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य स्तर से अनुमोदनोपरान्त) देय होगी।
10. इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. नियुक्त/चयनित अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रभावी गर्वनमेन्ट कन्डक्ट रूल लागू होंगे।
12. कार्य व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें (संविदा) तुरन्त समाप्त की जा सकती है।
13. संविदा कर्मियों की तैनाती स्थान विशेष पर ही की जायेगी।
14. संविदाकर्मी किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे और ये अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे, और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
15. संविदा कर्मी यदि सात दिन लगातार अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।
16. संविदा कर्मी यदि अपनी सेवायें छोड़ता है तो उसे एक माह पूर्व इसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालय में देनी होगी, यदि वह इसकी सूचना एक माह पूर्व प्रेषित नहीं करता है तो एक माह का वेतन उसे जमा करना होगा।
17. सभी संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी के साथ किया जायेगा।
18. नियुक्ति प्रक्रिया एवं इन्टरव्यू तिथि में संशोधन/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
19. राज्य स्तर से कार्यक्रम समाप्त/दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अनुबन्ध पूर्व भी संविदा समाप्त की जा सकती है।
20. चयन समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा तथा नियुक्ति से सम्बन्धी सभी विधिक विवादों का निस्तारण स्थानीय माननीय न्यायालय, बाराबंकी के जूरिएडिक्शन के अधीन होगा।
21. आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान संबंधित चिकित्सालय द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि से ही किया जायेगा। इस हेतु पृथक से किसी बजट का प्राविधान नहीं किया जायेगा।

  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
बाराबंकी

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
बाराबंकी।

नोट— इस कार्यालय के पत्र संख्या आयुष्मान मित्र/2020/3353, दिनांक: 22 फरवरी 2020 के द्वारा आरोग्य मित्र चयन हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन निरस्त किया जाता है। नवीन आवेदन उपरोक्त विज्ञापित के अनुसार स्वीकार किये जायेगे।

## संविदा पदों हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

विभाग का नाम :- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग।

कार्यक्रम का नाम :- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बाराबंकी

आवेदित पद का नाम : आरोग्य मित्र

प्रमाणित फोटो  
चिपकाये (फोटो  
स्टेपेल नहीं  
करना है)

1. अभ्यर्थी का नाम / (हिन्दी में) : .....
- (अंग्रेजी में) : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जाति (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न) :- .....
4. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें):- .....
5. लिंग (पुरुष/महिला) : .....
6. राष्ट्रीयता : .....
7. स्थायी पता : .....
8. पत्र व्यवहार का पता : .....
9. शैक्षिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-

| क्र०सं० | योग्यता/उपाधि | पूर्णांक | प्राप्तांक | श्रेणी | प्रतिशत |
|---------|---------------|----------|------------|--------|---------|
| 1       |               |          |            |        |         |
| 2       |               |          |            |        |         |
| 3       |               |          |            |        |         |
| 4       |               |          |            |        |         |
| 5       |               |          |            |        |         |

10. कम्प्यूटर ज्ञान

| क्र०सं० | संस्था का नाम | योग्यता |
|---------|---------------|---------|
| 1       |               |         |

11. अनुभव

| क्र०सं० | संस्था का नाम | कार्यरत पद का नाम | अवधि |
|---------|---------------|-------------------|------|
| 1       |               |                   |      |

11. संलग्नको की संख्या :- .....

12. मो० नम्बर.....ई-मेल आई०डी०.....

### घोषणा-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी सूचनायें सत्य एवं सही हैं मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और किसी भी न्यायालय में वाद प्रेषित नहीं करूँगा। मुझे पुलिस द्वारा कभी निरूद्ध नहीं किया गया और न ही मेरा कोई वाद न्यायालय में लम्बित है। मुझे संविदा आवेदन की समस्त शर्तें मान्य होंगी।

दिनांक:- नवम्बर 2020

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम व पूरा पता.....

.....